

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—177 / 2007

संस्थित दिनांक—30.03.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अमित पिता अशोक वाहने, उम्र 29 वर्ष,

निवासी—वार्ड नं. 13 भरवेली, थाना भरवेली,

हाल मुकाम—वार्ड नं. 1 बुढ़ी, बालाघाट, थाना—कोतवाली बालाघाट,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—06 / 01 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.01.2007 को समय 16:05 बजे स्थान लालघाटी, ग्राम सोनगुड्डा व ग्राम लातरी के बीच आम रोड़ आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी.28/ई.0301 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर उसमें बैठे मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—30.01.2007 को समय 16:05 बजे स्थान लालघाटी, ग्राम सोनगुड्डा व ग्राम लातरी के बीच आम रोड़ आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन चालक आरोपी द्वारा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.28/ई.0301 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये पलटा दिया, जिससे वाहन में बैठे ओमप्रकाश को गम्भीर चोट आयी, जिसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहां ईलाज के दौरान ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में लिखित तहरीर के माध्यम से पुलिस चौकी बालाघाट को सूचना दी गई जहां मृतक की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक—0/2007 लेख करते हुये थाना रूपझर में असल नम्बर पर मर्ग इंटीमेशन क्रमांक—3/2007 तैयार करते हुये नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। उक्त मर्ग की जांच पर थाना रूपझर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—11/2007, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम

सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर तथा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-30.01.2007 को समय 16:05 बजे स्थान लालघाटी, ग्राम सोनगुड्डा व ग्राम लातरी के बीच आम रोड़ आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर उसमें बैठे मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— वाहन मालिक अशोक वाहने (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उसका लडका है। उसके पास महिन्द्रा ट्रैक्टर है, जिसका नम्बर उसे आज ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया था, किन्तु नोटिस प्रदर्श पी-6 तथा नोटिस का जवाब प्रदर्श पी-8 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वर्ष 2007 की बात है उसे, उसके लडके अमित ने बताया था कि ट्रैक्टर से दुर्घटना हो गई थी। घटना समय ट्रैक्टर कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह मौके पर उपस्थित नहीं था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 उसके नाम पर है और दुर्घटना के समय उक्त ट्रैक्टर को आरोपी अमित से पलटने की लिखित जानकारी प्रदर्श पी-8 के माध्यम से पुलिस को दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी अमित उसका लडका है और पुलिस ने आरोपी से उक्त ट्रैक्टर को जप्त किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि नोटिस के जवाब प्रदर्श पी-8 में क्या इबारत लिखी थी, पुलिस ने पढ़कर नहीं बतायी थी और उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये

थे। साक्षी ने नोटिस के जवाब प्रदर्श पी-8 में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया जाना प्रकट किया है, किन्तु साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उसने उसके पुत्र आरोपी अमित को घटना के समय उसके स्वत्व के ट्रेक्टर को चलाने हेतु दिया था। अतः नोटिस के जवाब प्रदर्श पी-8 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन का चालन उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु कारित हुई।

6— मुरली तरवरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया था, जिस कारण ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— निशांत (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा मृतक ओमप्रकाश को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर बयान दिये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— लखन (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर पलट गया था, जिसमें ओमप्रकाश घायल हो गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु आरोपी की लापरवाही से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना के कारण मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु होने की पुष्टि की है, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— देवदास (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह

आरोपी को तथा मृतक को नहीं जानता। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी, किन्तु क्या जप्त किया गया था, उसे याद नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से वाहन जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— डिवेन्द्र पटले (अ.सा.6) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे लगभग 10 वर्ष से चार पहिया वाहन चलाने का अनुभव है। उसके द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर मैकेनिकल मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 तैयार की थी और उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— डाक्टर व्ही.पी.समद (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-31.01.2007 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक तिलकसिंह क्रमांक-880 पुलिस चौकी चिकित्सालय बालाघाट द्वारा मृतक ओमप्रकाश पिता खिलाफचंद के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका उसके द्वारा शव परीक्षण किया गया था, उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण मृतक के सिर पर आयी चोट के कारण निरोजेनिक शॉक के कारण हुई थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मृतक ओमप्रकाश की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की पुष्टि की है।

12— कायमीकर्ता संजय दुबे (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.02.2007 को थाना रूपझर में चौकी प्रभारी सोनगुड्डा के पद पर पदस्थ था। थाना रूपझर के मार्ग क्रमांक-3/2007 की जांच के दौरान साक्षी शक्ति बोपचे के कथन लेखबद्ध कर मार्ग की जांच पर से ट्रेक्टर चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-11/2007, धारा-304(ए) भा.द.वि. का लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी शक्ति बोपचे की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-11 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी शक्ति बोपचे के कथन उसके बताये

अनुसार लेख किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 में आरोपी का नाम उल्लेख नहीं है। साक्षी ने मामले में प्रारम्भिक जांच के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। यद्यपि मर्ग जांच के समय तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते समय तक दुर्घटना कारित वाहन के चालक का नाम पता न लग पाने के संबंध में साक्षी ने कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है, जिस कारण से मामले में आरोपी के विरुद्ध तत्काल अपराध न दर्ज करने के संबंध में संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट होती हैं। इसके अलावा इस तथ्य की अधिसंभावना भी प्रकट होती है कि घटना के समय किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने आरोपी का नाम दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं बताया था।

13— अनुसंधानकर्ता अधिकारी महेश टांडेकर (अ.सा.5) ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-17.03.2007 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-11/2007, धारा-304(ए) की डायरी विवचेना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी निशांत, मुरली, लखनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-19.03.2007 को वाहन मालिक अशोक वाहने को लिखित नोटिस देकर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 का दिनांक-30.01.2007 को कौन डायवर था, इसकी जानकारी चाही गई थी, उक्त नोटिस की कार्बन प्रति प्रदर्श पी-6 है। उक्त नोटिस के जवाब में वाहन मालिक अशोक वाहने द्वारा लिखित जवाब दिया गया था, जिसमें उसने डायवर एवं घटना के संबंध में जानकारी दिया था कि डायवर अमित वाहने द्वारा घटना के समय ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आरोपी से साक्षियों के समक्ष ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 को मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा ट्रेक्टर का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करा कर उसकी रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया गया है।

14— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया है। यद्यपि वाहन मालिक अशोक वाहने (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में धारा-133 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दिये गये नोटिस के जवाब में पुलिस को यह जानकारी दिये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी को उक्त दुर्घटना कारित वाहन को चालन करने दिया था। मृतक ओमप्रकाश का घटना

के समय दुर्घटना के कारण मृत्यु कारित होना प्रमाणित है। इस प्रकार यदि तर्क के लिये यह मान लिया जाये कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही उक्त वाहन का चालन किया जा रहा था तब आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चालन किये जाने के तथ्य के संबंध में साक्ष्य की विवेचना किया जाना होगा। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने न तो आरोपी को दुर्घटना कारित वाहन का चालन करते हुये देखा है और न ही उक्त वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने अथवा उसकी गलती से दुर्घटना कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने के तथ्य का समर्थन किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

15— प्रकरण में मात्र आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जाना तथा समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप अथवा उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई और मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु हुई। इस प्रकार अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी. 28/ई.0301 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर उसमें बैठे मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.28/ई.0301 व ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/ए.0310 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार अशोक वाहने पिता घुडन वाहने निवासी निवासी भरवेली थाना भरवेली जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट